इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 255] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 मई 2011—वैशाख 20, शक 1933

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मई 2011

क्र. डी-15-10-2008-चौदह-3.—समर्थन मूल्य पर ''गेहूँ'' की खरीदी के लिये राज्य शासन के द्वारा नियुक्त संस्था अथवा ऐसी संस्था के द्वारा नियुक्त एजेन्सी के माध्यम से खरीदी करने की स्थिति में रबी विपणन वर्ष 2011-12 में समर्थन मूल्य पर राज्य शासन के द्वारा घोषित प्रोत्साहन राशि (बोनस) पर देय मण्डी फीस से मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा राज्य शासन को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (क्रमांक 97) क्रमांक-डी-15-10-2008-चौदह-3 दिनांक 14 मार्च 2011 में उल्लेखित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार छूट प्रदान की गयी है.

उपरोक्त के साथ ही, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, एतद्द्वारा, समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिये राज्य शासन के द्वारा नियुक्त संस्था अथवा ऐसी संस्था के द्वारा नियुक्त एजेन्सी के माध्यम से ''गेहूँ'' की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की स्थिति में भारत शासन के द्वारा रबी विपणन वर्ष 2011-12 में घोषित प्रोत्साहन राशि (बोनस) पर देय मण्डी फीस से भी छूट प्रदान की जाती है.

परन्तु मण्डी फीस के भुगतान से यह छूट केवल भारत शासन तथा राज्य शासन के द्वारा रबी विपणन वर्ष 2011-12 हेतु घोषित प्रोत्साहन राशि (बोनस) पर मान्य होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 मई 2011

क्र. डी-15-58-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 मई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 9th May 2011

No. D-15-10-2008-XIV-3.—State Government, in exercise of powers conferred under sub-section (1)and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), have exempted the Organisation(s) appointed by State Government for procurement of "Wheat" on minimum support price and or agency(s) appointed by the said Organisation for the purpose, from payment of market fee on Bonus declared by the State Government in the Rabi Marketing Year 2011-12 as per the terms and conditions *vide* the Notification (No. 97) D-15-10-2008-XIV-3 dated 14th March, 2011 published in the state gazette.

Further, in addition to above, in exercise of the powers conferred sub-section (1) and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby, exempt the Organisation(s) appointed by the State Governemnt for procurement of "Wheat" on minimum support price and or agency(s) appointed by the said Organisation for the purpose, from payment of market fee, payable on the Bonus declared by the Government of India for the Rabi Marketing Year 2011-12.

Provided that the above exemption from payment of market fee shall only be on the Bonus declared by Government of India and the State Government for the Rabi Marketing Year 2011-12.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2011.